प्रतिलिपि [illegible] आवेदक की तारीख Date of application for the copy	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने के निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Deva Govt. Stamp Vendor Jamshedpur Court Licence No. 16-95-96 requisite stamp & folios	जबकी देने के लिए लिपि तैयार थी 3471 which the copy was ready for delivery	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of mading over the copy to the applicant
29/8/11	29/8/11	29/8/11	30/8/11	30/8/11

FOLIO NOT AVAILABLE

रच्ची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 373

खाता नं० 698 वार्ड सं० 10 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव / थाना — मोहल्ला / पट्टी — परगना — तौजी सं० — थाना सं०

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत: खेसरा संख्या	खेत: चौहदी	भूमी का स्वरूप	रकवा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या, मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो — गैर नगदी लगान वाले हस्क पर्चा के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है: राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रैयत पर हैसियत और [illegible] (2) लगान किस प्रकार निबद्ध किया गया [illegible] (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
698	श्रीमति लक्ष्मीदेवी पति नरेन्द्र प्रसाद सिंह	373		गोप्र एक 1	0.37.60		(1) कानिस लगान		(1) डीहवाड़ी

सच्ची प्रतिलिपि
[signature] 30-8-11
अभिलेख पाल
सिंहभूम बन्दो०
जमशेदपुर

प्रतिलिपिक
[signature] 30-8-11

तुलना किया
[signature] 30-8-11

Certified to be True Copy
[signature] 30/8/11
Head Clerk to the Settlement office is authorised U/s 76 of the Indian Evidence Act. 1872

यह स्वत्व अभिलेख छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका सर्वेक्षण अधिनियम 1920 की धारा [illegible] के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 30 DEC 1980 को किया गया अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 8 JAN [illegible] को हस्ताक्षरित हुआ।

[signature]
बन्दोबस्त पदाधिकारी
सिंहभूम

Beem Data Devi